झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प – 1077 / 17/02/2009

विषय : झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत राज्य स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती, प्रोन्नति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण के संबंध में आदर्श रोस्टर ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–5776 दिनांक 10.10.2002 के द्वारा झारखण्ड में राज्य स्तरीय पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण हेतु विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए निम्न रूप में आरक्षण प्रतिशत निर्धारित था :–

(क) अनुसूचित जाति – 10 प्रतिशत
(ख) अनुसूचित जनजाति – 26 प्रतिशत
(ग) अन्य पिछड़ा वर्ग – 14 प्रतिशत
(अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को एक समेकित कोटि मानकर)

2. राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यथा निर्धारित 14 प्रतिशत आरक्षण को संकल्प संख्या–5162 दिनांक 25.09.2008 द्वारा विभाजित कर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) के लिए 8 प्रतिशत तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के लिए 6 प्रतिशत पदों को आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है।

तदनुसार वर्तमान में राज्य की राज्य स्तर पर सभी सेवाओं/संवर्गों एवं पदों पर नियुक्ति तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए निम्न रूप से आरक्षण अनुमान्य है:–

(क) अनुसूचित जाति – 10 प्रतिशत
(ख) अनुसूचित जनजाति – 26 प्रतिशत
(ग) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) – 08 प्रतिशत
(घ) पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) – 06 प्रतिशत
कुल – 50 प्रतिशत

राज्य स्तर पर सभी सेवाओं/संवर्गों एवं पदों पर प्रोन्नति में निम्न रूप से आरक्षण की व्यवस्था है :–

(क) अनुसूचित जाति – 10 प्रतिशत
(ख) अनुसूचित जनजाति – 26 प्रतिशत
कुल – 36 प्रतिशत

ज्ञापांक–7 / आ0(रो0)–30 / 2002 का०– 1072 / रांची, दिनांक 17/02/2009

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को भेजे।

17.2.09.

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–7 / आ0(रो0)–30 / 2002 का०– 1072 / रांची, दिनांक 17/02/2009

प्रतिलिपि–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री सचिवालय, रांची / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / मुख्य सचिव के सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.2.09.

सरकार के सचिव।